भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2440

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं/कार्यक्रम

2440 डॉ. सी.एम.रमेश :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नवंबर, 2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में लक्षित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की आबादी 8,500 से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में इन आदिवासियों के लाभ के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी, आबंटित तथा व्यय की गई धनराशि का योजनावार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है, ताकि पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर किया जा सके। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर (28.02.2025 तक), आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में पीवीटीजी जनसंख्या 8552 है।

(ख) से (ग) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अनकापल्ली जिले में पीएम जनमन (28.02.2025 तक) के तहत इसकी शुरूआत से दिए गए लाभों का विवरण इस प्रकार है:

मंत्रालय	**उपाय**	**स्वीकृतियां**
जल शक्ति	पाइप जलापूर्ति	पीवीटीजी बस्तियों को कवर करने वाले 48 गांव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सचल औषधि इकाई (एमएमयू)	11 एमएमयू स्वीकृत
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	5 पीवीटीजी बस्तियाँ

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

*मंत्रालय में जिला-वार स्वीकृत, जारी, आवंटित और खर्च की गई निधि (धनराशि) का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

*****